

RBE No. 66/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

New Delhi, dated 10.05.2023

No. E(NG)I-2022/PM20/2

The General Manager (P),
All Zonal Railways and PUs etc.,
(As per standard list).

Sub: Upper age limit for appearing Departmental selection for the post of Publicity Inspector in GP Rs.4200/Level-5.
Ref: i) Board's letter of even number dated 14.11.2022 (RBE No. 151/2022)
ii) Board's letter No. E(NG)I/89/PM20/2 dated 28.03.1989 (RBE No. 89/1989).
iii) Board's letter No. E(NG)I-96/PM20/4 dated 07.10.1997 (RBE No. 131/1997).

Attention is invited to Board's letter of even number dated 14.11.2022 (RBE No. 151/2022), wherein mentioning instructions issued vide RBE No. 89/1989, it had been clarified that Level-I employees (erstwhile Group 'D'), who are now classified as Group 'C', are also eligible for the selection to the post of Publicity Inspector in Level-5.

One of the Zonal Railways has raised doubt as to whether the upper age limit along with relaxation for SC/ST employees as indicated vide RBE No. 131/97 still holds good or otherwise. The matter has been examined, and it is clarified that upper age limit of eligible employees for selection to the post of Publicity Inspector in Level-5 is 40 years which is relaxable by 5 years in the case of SC/ST employees as provided in RBE No. 131/97, which still holds good.

This disposes off Eastern Railway's letter No. E.839/T-HQ/CPRO/promotion/NM/Pt.II dt.04.05.2023

Hindi version will follow

Please acknowledge receipt.

Encl: Nil.


(Sanjay Kumar)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board
Tele No. 23303658

तीसरा तल, कमरा नं. 359-A, रेल भवन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sanjay.kumar6@gov.in
3rd Floor, Room No.359-A, Rail Bhawan, New Delhi-110001, E-mail sanjay.kumar6@gov.in

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2022/पीएम20/2

आरबीई सं. 66/2023
नई दिल्ली, दिनांक: 10.05.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: ग्रेड वेतन रूपये 4200/लेवल-5 में प्रचार निरीक्षक के पद के लिए विभागीय प्रवरण में शामिल होने के लिए ऊपरी आयु सीमा के संबंध में।

- संदर्भ: i) बोर्ड का दिनांक 14.11.2022 का समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 151/2022)
ii) बोर्ड का दिनांक 28.03.1989 का पत्र सं. ई(एनजी)I/89/पीएम20/2 (आरबीई सं. 89/1989)
iii) बोर्ड का दिनांक 07.10.1997 का पत्र सं. ई(एनजी)I-96/पीएम20/4 (आरबीई सं. 131/1997)


आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 14.11.2022 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 151/2022) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें आरबीई सं. 89/1989 के तहत जारी किए गए अनुदेशों का उल्लेख करते हुए, यह स्पष्ट किया गया था कि लेवल-1 कर्मचारियों (भूतपूर्व ग्रुप 'डी') जिन्हें अब ग्रुप 'सी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वे भी लेवल -5 में प्रचार निरीक्षक के पद पर प्रवरण के लिए पात्र हैं।

एक क्षेत्रीय रेल द्वारा प्रश्न उठाया गया है कि क्या आरबीई सं. 131/97 के अंतर्गत इंगित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए छूट के साथ ऊपरी आयु सीमा अभी भी मान्य है की नहीं। मामले की जांच की गई है, और यह स्पष्ट किया जाता है कि लेवल-5 में प्रचार निरीक्षक के पद पर प्रवरण के लिए पात्र कर्मचारियों की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष की छूट है जैसा कि आरबीई सं.131/97 में दिया गया है जो अभी भी मान्य है।

इससे पूर्व रेलवे के दिनांक 04.05.2023 के पत्र सं. ई.839/टी-एचक्यू/सीपीआरओ/प्रमोशन/एनएम/पार्ट.II का निपटान हो गया है।

कृपया पावती दें।

संलग्न: कोई नहीं।


(संजय कुमार)

उपनिदेशक/स्था.(अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड
टेलीफोन नं. 23303658